

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

पुनः राल वरु
सां - शुभाश्वरी
जुन
(स्थायी रूप से रक्षणीय)

फारम सं० 5651
बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वीं ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण
(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)
.....विभाग

(पहला पन्ना)

केस नं० SRCase no 83 वर्ष 2003-04 रजिस्टर सं०
इस्टेंट परगना तौजी सं०
अर्जीकार - प्रतिपक्षी

अधिनियम सं० वर्ष के अधीन
निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

की कम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
----------------------	--------------------------------	---

25.10.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-27.11.2021 को रखें।</p>	
27.11.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-28.01.2022 को रखें।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।</p>
28.01.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-22.02.2022 को रखें।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।</p>
22.02.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष की अभिरुची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।</p>